

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(सुरेश चौधरी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

16 / 2024
29.02.2024

कन्हैया लाल (खाना) मीणा पुत्र नन्दा मीणा निवासी ग्राम आमली, ग्राम पंचायत देवडावास, तहसील दूनी जिला टोंक राज.

.....अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

.....रेस्पोजेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार दूनी दिनांक 14.02.2024
मिसल नम्बर 845 / 2024

- उपस्थिति : (1) श्री भागचन्द बैरवा, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय परोकार रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 23.05.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 14.02.2024 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 180 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म जमीन चरागाह वाके ग्राम आमली, पोस्ट देवडावास तहसील दूनी पर फसल सरसों काशत कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान 2.00 रु. का 50 गुणा जुर्माना कुल 100 रु. जमा कराने तथा 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की प्रोपर तामिल



333

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलांट पर नहीं हुई, तामिल कुनिन्दा द्वारा विधि अनुसार अपीलांट पर तामिल नहीं करायी गई थी, उक्त तामिल नोटिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी भी नहीं है, किन्तु उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिए उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट के उपस्थिति बाबत कोई हस्ताक्षर व अंगूठा नहीं हो रखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिए बिना ही अपीलान्ट के विरुद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी अथवा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर सरसों की फसल काशत नहीं की है और ना ही अपीलांट का उक्त भूमि से कोई संबंध है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलांट के विरुद्ध पटवारी हलका की रिपोर्ट दुर्भावना पूर्वक की गई है। अपीलांट को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किये जाने बाबत हल्का पटवारी द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है और न ही इस बाबत कोई विश्वसनीय सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अब अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी का निर्णय दिनांक 14.02.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल हुई है व अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलान्ट ने भूमि आराजी आराजी खसरा नम्बर 180 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म जमीन चरागाह पर सरसों की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल संख्या 2486/2014 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था किन्तु अपीलांट ने पुनः उक्त भूमि पर काशत कर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय परोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं



हुआ है। अपीलान्त ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच हेतु नायब तहसीलदार दूनी से उक्त भूमि पर कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार दूनी ने मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक 791 दिनांक 06.04.2024 से प्रेषित की जिसमें अंकित किया है कि अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है एवं मौके पर भूमि खाली है। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अपीलांत ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी के निर्णय दिनांक 14.02.2024 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलांत को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। अपीलांत को हिदायत दी जाती है कि यदि उसके द्वारा भविष्य में उक्त भूमि अथवा अन्य किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।



निर्णय दिनांक 23.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक